1	2	बंटवारा वाद सं0 450/1997 3	4
	19-02-2015	उभय पक्षों की ओर से वकालतन हाजरी दी गई। उभय पक्षों को वादी की ओर से दिनांक 19.12.14 को सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 22, नियम 3 के तहत प्रविष्ट आवेदन पर सुना जा चुका है। अभिलेख आदेश हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से प्रविष्ट उपरोक्त आवेदन को प्रचालित करते हुए कथन किये हैं कि वादी सं0 1 इमाम अंसारी की मृत्यु दिनांक 22.11.14 को अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्री को छोड़कर हुई है, जिनके नाम और विवरण आवेदन के पेज–3 पर दर्ज है। वादी द्वारा आवेदन समय–सीमा के अंदर दिया गया है। अतः उसे स्वीकार किया गया जाए। दूसरी तरफ प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता, वादी के उपरोक्त आवेदन का कोई विरोध नहीं किये। सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि वादी की ओर से वादी सं0 1 इमाम अंसारी के विधिक उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 19.12.14 को प्रतिस्थापन आवेदन दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 20.01.15 को वादी सं0 4 की ओर से प्रति स्थापन आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया गया। वादी का प्रतिस्थापन आवेदन समय सीमा के अंदर है और शपथ पत्र से सम्पुष्ट है। अतः उसे स्वीकार किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह अगली तिथि तक प्रतिवादी सं0 1 के मृत्यु का पृष्टांकण वाद पत्र के मुख्य पृष्ठ पर करें और उनके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम वादी सं0 1/ए, 1/बी, 1/सी के रूप में अंकित करें और उनकी उपस्थिति हेतु	

	<u>लगातार–2</u> 19.02.2015	आवश्यक कार्रवाई करें। दिनांक 02.03.2015 वास्ते वादी की ओर से आवश्यक कार्रवाई। लेखापित सिविल जज (सीनियर डिविजन) प्रथम देवघर।	